जारी हुए की ता.

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 113/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री आजाद सिंह मरोठिया एडवोकेट चैम्बर नं0 41 जिला कोर्ट फतेहाबाद हरियाणा।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

––प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः–28.11.2017

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो एवं संलग्न कागजात के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी हनुमानगढ को आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2017 भेजा गया और उसी को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा (6)3 में अन्तरण किया जा चुका। आज तक लोक सूचना अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी ने यह अपील की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) भादरा को निर्देश दिये जाते है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पत्र दिनांक 12.09.2017 से अपीलार्थी का आवेदन पत्र आपको अन्तरित किया गया है जिसके अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ